संख्या N.B.695/58–2014–437/2013

प्रेषक

अमरनाथ उपाध्याय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उद्यान अनुभाग

लखनऊः दिनांकः 30 सितम्बर, 2014

विषयः मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा–जनपद महोबा में ''पान अनुसंधान को विकसित कराया जायेगा'' की पूर्ति हेतु नई मांग 2014–15 के माध्यम से प्राविधानित धनराशि के अवमुक्त हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 138–39/बजट– आयोजनागत/2014–15 दिनांक 14.8.2014 एवं पत्र संख्या 197–98/बजट– आयोजनागत/2014–15 दिनांक 22.9.2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा–जनपद महोबा में ''पान अनुसंधान को विकसित कराया जायेगा'' की पूर्ति हेतु नई मांग 2014–15 के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 5000 हजार (रूपये पचास लाख) मात्र की धनराशि को निम्नलिखित विवरण के अनुसार अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि हजार रूपये में)

लेखाशीर्षक/मद का नाम	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3
4401–फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–108–वाणिज्यिक फसलें– 03–पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केन्द्र महोबा		
24–वृहत निर्माण कार्य	4842	4842
26–मशीने और सज्जा/उपकरण और संयत्र	158	158
योग–	**5000**	**5000**

(1) अवमुक्त की जां रही धनराशि से निर्माण कार्य एवं मशीने और सज्जा/उपकरण और संयंत्र का क्रय शासन के सुसंगत नियमों/ निर्देशों के अनुसार कराया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण योजना के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार फेजिंग करते हुए आवश्यकतानुसार किया जाय।

(3) निर्माण कार्य प्रारंभ करने के पूर्व तैयार कराये गये आगणन पर शासन की अनुमति प्राप्त कर ली जायेगी।

(4) प्रकरण में निर्माण कार्य, लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानक/लागत के अनुसार ही कराये जायेंगे। अवमुक्त की गयी धनराशि नामित कार्यदायी संस्था को दो समान किश्तों में दी जाय। प्रथम किश्त की धनराशि के 75 प्रतिशत उपयोग हो जाने तथा कराये गये कार्यों की जांचोपरान्त गुणवत्ता मानक के अनुरूप होने पर ही द्वितीय किश्त अवमुक्त की जाय।

(5) प्रश्नगत कार्यो की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो, इसे निदेशक, उद्यान/ मुख्य वित्त नियन्त्रक अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे।

(6) जिन मदों में व्यय हेतु शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक हो उनमें व्यय करने से पूर्व शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय शासन में प्रेषित की गयी योजना के अनुसार ही किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन /वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2457/दस–2014–231/2014 दिनांक 22.7.2014 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आवंटित परिव्यय सीमा के भीतर किया जायेगा।

(9) अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जायेगा।

(10) शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों का पूर्णतया पालन किया जायेगा।

(11) धनराशि व्यय करने के पूर्व भंडार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का पालन पूर्णतया किया जायेगा।

(12) उपरोक्त प्रस्तरों में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत मुख्य वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार विचलन हो तो मुख्य वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना तत्काल शासन/वित्त विभाग को दिया जाय। विचलन की स्थिति में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मुख्य वित्त नियंत्रक तथा सम्बन्धित जनपदीय उद्यान अधिकारी उत्तरदायी होंगें।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का मासिक व्यय विवरण प्रत्येक माह के 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(14) यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0–बी–1–2457/दस–2014– 231/2014 दिनांक 22.7.2014में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,

\

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।

संख्याः N·B·695 (1)/58–2014, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– जिलाधिकारी, महोबा।
3– कोषाधिकारी, महोबा।
4– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनु0–1, उ0प्र0 शासन।
5– वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1, उ0प्र0 शासन।
6– उपनिदेशक, उद्यान, झांसी मण्डल, झांसी।
7– अधीक्षक, राजकीय उद्यान, झांसी।
8– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय खाद्य एवं प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

30/9/16

(अमरनाथ उपाध्याय)
संयुक्त सचिव।